

 UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION PRAYAGRAJ 10, Kasturba Gandhi Marg PRAYAGRAJ	
"PROVISIONAL <u>ADMIT CARD</u> FROM WEBSITE FOR THE EXAMINATION" HOMOEOPATHIC MEDICAL OFFICER (SCREENING) (S-11-08) EXAM-2023	

Candidate's Personal Details :			
OTR Number :	469659074534	Roll Number :-	0104389
Candidate Name :	AYUSHI SRIVASTAVA	Date Of Birth :	11/10/1997
Father's/Husb's Name :	DINESH SRIVASTAVA	Gender	Female
Domicile of U.P. :	Yes	Cat./Sub.Cat. :	General
Examination Centre Details :			Photo and Sign :
District Code & Name :	47 - LUCKNOW		 
Centre Code & Name :	205 - GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE LUCKNOW		
Centre Address :	SECTOR-11, NEAR MINI STADIUM, VIKAS NAGAR,LUCKNOW		
Examination Schedule :			
Examination Date :	15/09/2024		
		2nd Meeting :	03:00 PM To 05:00 PM
			SUB. CODE : 01 SUB. NAME : GENERAL STUDIES AND HOMOEOPATHY
			
Candidate's Signature ↑		Examination Controller's Signature ↑	
Admit Card downloaded from : " https://uppsc.up.nic.in " on dated - [10/09/2024 , 08:42:18] IT Solution powered by National Informatics Centre Uttar Pradesh State Unit, Lucknow			
* Note: Please read instructions carefully given below before proceeding in the Examination.			

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश

1. आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता/पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता/पात्रता को पढ़ कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अनर्ह/अपात्र पाये जायेंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. सभी अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर दो फोटो तथा आई0डी0 प्रूफ (Driving License, Passport, Pan Card, Voter Identity Card, Central/State Government issued ID Card, Unique Identification Card "Aadhaar") की मूलप्रति तथा एक छायाप्रति लेकर उपस्थित हों, मॉगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लायें अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।
4. गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड दिया जाएगा।
 - i. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गए अंकों का एक-तिहाई दण्ड के रूप में काटा जायेगा।
 - ii. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।
 - iii. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।
5. i. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड/ कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा न हो तथा काली इंक का बाल प्वाइंट पेन साथ लेकर आयें। अभ्यर्थी काली इंक के बाल प्वाइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग कदापि न करें।
 - ii. अभ्यर्थियों को अपने पास अपनी सारणियां (Tables) ग्राफ शीट, मानचित्र आदि रखना तथा उनका प्रयोग अनुमन्य नहीं है। कैलकुलेटर तथा स्लाइड रूल्स आदि का भी प्रयोग अनुमन्य नहीं है।
 - iii. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं है।
 - iv. उपर्युक्त प्रस्तर 5(I) में बताई गयी वस्तुओं के अतिरिक्त लायी गई अन्य वस्तुएं, अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबन्ध रहेगा फिर भी कोई सामान यदि खो जाय तो उसका दायित्व आयोग का नहीं होगा।
6. यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से वंचित (डिबार) किया जा सकता है, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।
7. अंतिम आधा घण्टा में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
8. i. प्रश्न पुस्तिका के साथ उत्तर पत्रक संलग्न है। अभ्यर्थीगण प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही उस पर लगी सील को खोलकर उत्तर पत्रक को प्रश्न पुस्तिका से सावधानीपूर्वक अलग कर लें तथा प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को भली भाँति चेक कर लें यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई पेज गायब (Missing) हो या उत्तर पत्रक में गोल आकृतियों के मुद्रित न होने या डैमेज होने की स्थिति में प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक दोनों अन्तरीक्षक को वापस करके दूसरी प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्रक प्राप्त कर लें।

ii. उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाय। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी द्वारा अलग नहीं किया जायेगा, अपितु अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की तीनों प्रतियां जुड़ी हुई अन्तरीक्षक को सौंप देंगे। अन्तरीक्षक उत्तर पत्रकों की गणना करने के बाद तीनों प्रतियां अलग करेंगे तत्पश्चात् अन्तरीक्षक अभ्यर्थी को अभ्यर्थी प्रति (नीले रंग) दे देंगे, अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। अन्तरीक्षक से प्राप्त उत्तर पत्रक की अभ्यर्थी प्रति एवं प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

9. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारम्भ हेतु निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जायेगा। प्रवेश बन्द होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय पर पहुंच कर बायोमेट्रिक (आइरिश स्कैनिंग) की प्रक्रिया पूर्ण कराने के पश्चात् ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें।

10. अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की पारदर्शी बोतल साथ रख सकते हैं।

11. दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे अभ्यर्थी श्रुतलेखक अपने साथ लायेंगे, जिसे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा देय नहीं होगा। जिन्होंने श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय की मांग की है या जिन्होंने केवल अतिरिक्त समय की मांग की है उन्हें भी उनके द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त समय 20 मिनट/प्रति घण्टे दिया जाय। जो श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय का लाभ ले रहे हैं उन्हें परीक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था (अधिमानत: भूतल पर) परीक्षा शुरू होने से पहले करते हुए अन्तरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय। दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने केन्द्र पर, केन्द्र पर्यवेक्षक को श्रुतलेखक (स्क्राइब) एवं अतिरिक्त समय हेतु सूचना देगा। अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, परिचय पत्र एवं दो फोटो साथ लायें। केन्द्र पर्यवेक्षक ऐसे अभ्यर्थियों से उपबन्धन प्रपत्र भरवा लें तथा उसके बाद अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एवं श्रुतलेखक की आईडी0 प्रूफ एवं शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आयोग कार्यालय को प्रेषित कर दें।

12. OMR Answer sheets तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति-मूल प्रति (गुलाबी) द्वितीय प्रति – संरक्षित प्रति (हरी) तथा तीसरी प्रति – अभ्यर्थी प्रति (नीली) प्रश्न पुस्तिका के साथ संलग्न रहेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उत्तर पत्रक की तीनों प्रतियां जुड़ी हुई अन्तरीक्षक को सौंप देना है। तत्पश्चात् अन्तरीक्षक से अभ्यर्थी प्रति (नीले रंग) प्राप्त कर अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे।

13. उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 (उ.प्र. अध्यादेश सं0-6, सन् 2024), दिनांक 01 जुलाई 2024 में प्राविधानित है कि –

(I) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिलिपि बनाना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड़यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अध्यादेश के अंतर्गत दण्डनीय है।

(II) ऐसे प्रकरण में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

14. OMR (उत्तर पत्रक) तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

NOTE: Please bring Two photograph at the centre with the printout of this admit card.